न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

पुनर्विलोकन प्र0 क0 877–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 03–03–14 पारित राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक 3664–तीन/2013.

राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला पुत्र गोबिन्द प्रसाद
नि0 ग्राम बदरॉव तिवारियान, तह0 सिरमौर,
जिला रीवा, म0प्र0

---- आवेदक

विरूध्द

रामकुमार पुत्र सियाशरण ब्राह्मण,
निवासी ग्राम बरा कोठार, तह0 हुजूर,
जिला रीवा म0प्र0

--- अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक – आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक--- अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 23.6.2014 को पारित)

यह पुनर्विलोकन का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के निगरानी प्रकरण क0 3664–तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक 03–03–14 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक रामकुमार व्दारा तहसील न्यायालय में पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 28–9–13 व्दारा पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया और अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30–9–13 पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गयी। तहसीलदार के अन्तरिम आदेश दिनांक 28–9–13 के विरूध्द आवेदक व्दारा निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी जिसे राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 03–03–14 व्दारा खारिज किया है। अतः आवेदक व्दारा यह पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा उपलब्ध के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार का नामान्तरण आदेश अंतिम प्रकृति का था, इस कारण उसके विरूध्द केवल अपील प्रस्तुत की जा सकती थी, पुनर्विलोकन प्रचलन योग्य नहीं था। उनका तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पुनर्विलोकन अनुमति देने के पूर्व आवेदक को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस संबंध में उन्होंने 2000 रा.नि. पृष्ठ 76 का न्यायदृष्टान्त प्रस्तुत कर तर्क प्रस्तुत किया कि पुनर्विलोकन की अनुमति बिना दूसरे पक्ष को सूचना एवं सूनवाई का अवसर दिये बिना नहीं दी जा सकती। इस वैधानिक तथ्य पर राजस्व मण्डल व्दारा आदेश पारित करते समय विचार नहीं किया गया जो अभिलेख से स्पष्टदर्शी त्रुटि है। उनका यह भी तर्क है कि पुनर्विलोकन का कोई आधार नहीं होते हुए भी अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की है जो स्पष्टतः त्रूटिपर्ण है। पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु जो आवेदन दिया गया है उसमें परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्त में उनका तर्क है कि व्यवहार न्यायालय में स्वत्व का प्रश्न विचाराधीन है, इसलिये

व्यवहार न्यायालय के निर्णय तक राजस्व न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखी जाना चाहिये थी। अतः उन्होंने पुनर्विलोकन स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का यह तर्क है कि अनावेदक ने भूमि सर्वे कमांक 172 का रकबा 0.149 हे. का ही विक्रय किया गया और शेष रकबा 0.462 हे. अपने पास रखा, किन्तु सम्पूर्ण रकबे पर नामान्तरण किस आधार पर दर्ज हुआ, इस तथ्य की जॉच के लिये तहसीलदार व्दारा अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति ली गयी है। आवेदक व्दारा निगरानी में तथा पुनर्विलोकन आवेदन में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रश्नाधीन सम्पूर्ण रकबे पर उसके नामान्तरण को विधि अनुकूल होना माना जा सके। उनका तर्क है कि अपील योग्य आदेश क विरूध्द पुनर्विलोकन ग्राह्य योग्य नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान संहिता में नहीं है। अतः उन्होंने पुनर्विलोकन निरस्त करने का अनुरोध किया।

5/ राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 03–03–14 में यह निष्कर्ष निकाला है कि अनावेदक के नाम की भूमि सर्वे कमांक 172 के शेष रकबा 0.462 हे. पर आवेदक का नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज होने का तथ्य परिलक्षित हुआ, जो जॉच का विषय होकर पुनर्विलोकन के लिये पर्याप्त आधार है। आवेदक को तहसील न्यायालय में जॉच कार्यवाही के दौरान अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है। जहॉ तक विचाराधीन भूमि पर व्यवहार वाद प्रचलित होने का संबध है, व्यवहार न्यायालय से जो भी आदेश होगें, राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी हैं। इससे स्पष्ट है कि निगरानी में जिन बिन्दूओं पर निष्कर्ष निकाले गये हैं, वही पुनर्विलोकन में आवेदक व्दारा प्रस्तुत किये गये हैं। पुनर्विलोकन आवेदन के आधार पर निगरानी में निकाले गये निष्कर्षों पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। अपील योग्य आदेश के विरूध्द पुनर्विलोकन आवेदन ग्राह्य नहीं किया जायेगा ऐसा कोई प्रावधान संहिता में नहीं है।

आवेदक व्दारा निगरानी में अथवा पुनर्विलोकन में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क0 172 के शेष रकबा 0.462 हे. पर उसके नामान्तरण को प्रथमदृष्टया सही होना माना जा सके। संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत नामान्तरण स्वत्व के संबंध में संक्षिप्त जॉच के पश्चात स्वत्व के विधिवत अन्तरण होने पर ही किया जा सकता है। इस प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क0 172 के शेष रकबा 0.462 हे. पर नामान्तरण शासकीय अभिलेख में दर्ज होने का तथ्य परिलक्षित होने पर तहसीलदार व्दारा पुनर्विलोकन की अनुभति चाही गयी है जिसे प्रदान करने में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कोई गलती नहीं की है। आवेदक को तहसील न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर उपलब्ध है व निगरानी एवं पुनर्विलोकन में भो आवेदक को सुनवायी का अवसर प्रदान किया जा चुका है, इस कारण आवेदक व्दारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के पुनर्विलोकन अनुमति आदेश में हस्तक्षेप करना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनर्विलोकन आवेदन खारिज किया जाता है। राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 03–03–2014 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0